

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1979/फाल्गुन 26, 1900
No. 118] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1979/PHALGUNA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1979

का. आ. 143 (अ).—केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, अन्तर्देशीय व्यापार तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का आ. 711, दिनांक 18 फरवरी, 1970 (बाद में यथा संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के अन्तिम पैरा में “नौ वर्ष और एक मास” के स्थान पर “नौ वर्ष और दो मास” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9/1/78-एम. सी. यूनिट]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1979

S.O. 143 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S. O. 711, dated the 18th February, 1970 (as amended subsequently), namely :—

In the said notification, in the last paragraph, for the words 'Nine years and one month', the words 'Nine Years and Two Months' shall be substituted.

[File No. 9/1/78-S. C. UNIT]

P. C. NAYAK, Joint Secy.